किशनपुरी बनाम नारायणपुरी
2023/240
निर्णय दिनांकः—07.04.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बालोतरा

(पीठासीन अधिकारी —भंवर लाल आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—93/2023

दर्जतिथिः—19.09.2023

1. किशनपुरी पुत्र पदमपुरी
   जाति गोस्वामी निवासी नया मूंढसर, बोर चारणान,तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा
   .....वादी

बनाम

1. नारायणपुरी पुत्री पदमपुरी
2. महिंगपुरी पुत्र पदमपुरी
3. हरिंगपुरी पुत्र पदमपुरी
   जाति गोस्वामी निवासी नया मूंढसर, बोर चारणान,तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा
   .....असल प्रतिवादीगण
4. शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक शाखा रामजी का गोल
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना
   .....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थितअधिवक्ता
वादीः—श्री मदनलाल
प्रतिवादीगणः—एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—07.04.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 232 रकबा 13.9050 है0, खसरा संख्या 236 रकबा 3.7717 है0 वाके ग्राम नया मूंढसर ,पटवार हल्का [illegible], तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आसामी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.04.17 17:11:59 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराज़ी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी के सम्मन मय डाक डिलीवरी रिपोर्ट न्यायालय हाजा को दिनांक 28.06.2024 को प्राप्त होने पर दिनांक 24.12.2024 तक प्रतिवादीगण का पत्रावली में इंतजार किया गया लेकिन प्रतिवादीगण बाद विधिवत तामील अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 24.12.2024 को प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य नियत करने पर वादी द्वारा बिना साक्ष्य प्रस्तुत किये पत्रावली में सीधी बहस का निवेदन किया। जिस पर प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादी की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में दिनांक 24.12.2024 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2026/370 दिनांक 24.02.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार प्रेषित मौका कुर्रेजात रिपोर्ट तथा प्रकरण में तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण में अपनायी गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 23.02.2026 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसील धोरीमन्ना के क्रमांक भू.अ./2025/2153

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2026.04.17 17:11:59 IST
Reason: SelfAttested

	दिनांक 23.02.2026 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 23.02.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादी एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 232 रकबा 13.9050 है0, खसरा संख्या 236 रकबा 3.7717 है0 वाके ग्राम नया मूंढसर ,पटवार हल्का बोर चारणान, तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार हैः—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जाः— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह—काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय— सुविधा का सन्तुलनः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल [illegible] एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार [illegible] है, तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2026.04.17 17:11:59 IST
Reason: SelfAttested

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 232 रकबा 13.9050 है0, खसरा संख्या 236 रकबा 3.7717 है0 वाके ग्राम नया मूंढसर ,पटवार हल्का बोर चारणान, तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वादीगण के हिस्से तालिका में बिन्दु संख्या 1 के अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए प्रार्थीगण का अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमना को दिये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	लगान	किस्म	बरंग
1.	किशनपुरी पुत्र पदमपुरी कौम स्वामी सा.देह खातेदार	सम्पूर्ण	232 232	3.079 0.3850	0.92 0.12	बा.सो. बा.सो.	काला
			2	0.9166	0.27	बा.सो.	
2.	महिंमपुरी पुत्र पदमपुरी हरिंगपुरी पुत्र पदमपुरी मघपुरी पुत्र नारायणपुरी मेहरपुरी पुत्र नारायणपुरी शिमनपुरी पुत्र नारायणपुरी संतोषपुरी पुत्र नारायणपुरी सोहनपुरी पुत्र नारायणपुरी हनुमानपुरी पुत्र नारायणपुरी कमलादेवीपिता नारायणपुरी कौम स्वामी सा.देह खातेदार रहन महिंगपुरी का हिस्सा आईसीआईसीआई शाखा रामजी का गोल	1/3 1/3 1/21 1/21 1/21 1/21 1/21 1/21 1/21 1/21	232 236 236	10.3925 0.6734 2.0765	3.12 0.20 0.62	बा.सो. बा.सो. बा.सो.	लाल
				13.1424	3.94	बा.सो.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.04.17 17:11:59 IST
Reason: SelfAttested

3.	गै.मु.रास्ता हेतु	—	232 236	0.0485 0.1052	—	बा.सो. बा.सो.	नीला

उक्तानुसार वादीगण के हिस्से (उक्त तालिका के बिन्दु संख्या 1) के अनुसार वादीगण अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना—बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.04.17 17:11:59 IST
Reason: SelfAttested

किशनपुरी बनाम नारायणपुरी
2023/240
निर्णय दिनांकः—07.04.2026

सत्यमेव जयते
न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —भंवर लाल आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—93/2023 दर्जतिथिः—19.09.2023

1. किशनपुरी पुत्र पदमपुरी
   जाति गोस्वामी निवासी नया मूंढसर, बोर चारणान,तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा
   .....वादी

बनाम

1. नारायणपुरी पुत्री पदमपुरी
2. महिंगपुरी पुत्र पदमपुरी
3. हरिंगपुरी पुत्र पदमपुरी
   जाति गोस्वामी निवासी नया मूंढसर, बोर चारणान,तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा
   .....असल प्रतिवादीगण
4. शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक शाखा रामजी का गोल
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना
   .....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थितअधिवक्ता
वादीः—श्री मदनलाल
प्रतिवादीगणः—एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादी अन्तर्गत धारा—53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 232 रकबा 13.9050 है0, खसरा संख्या 236 रकबा 3.7717 है0 वाके ग्राम नया मूंढसर ,पटवार हल्का बोर चारणान, तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वादीगण के हिस्से तालिका में बिन्दु संख्या 1 के अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकार्ड में रास्ता करते हुए प्रार्थीगण का अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसील धोरीमना को दिये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.04.17 17:11:59 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	लगान	किस्म	वरंग
1.	किशनपुरी पुत्र पदमपुरी कौम स्वामी सा.देह खातेदार	सम्पूर्ण	232 232	3.079 0.3850	0.92 0.12	बा.सो. बा.सो.	काला
			2	0.9166	0.27	बा.सो.	
2.	महिंमपुरी पुत्र पदमपुरी हरिंगपुरी पुत्र पदमपुरी मघपुरी पुत्र नारायणपुरी मेहरपुरी पुत्र नारायणपुरी शिमनपुरी पुत्र नारायणपुरी संतोषपुरी पुत्र नारायणपुरी सोहनपुरी पुत्र नारायणपुरी हनुमानपुरी पुत्र नारायणपुरी कमलादेवीपिता नारायणपुरी	1/3 1/3 1/21 1/21 1/21 1/21 1/21 1/21 1/21	232 236 236	10.3925 0.6734 2.0765	3.12 0.20 0.62	बा.सो. बा.सो. बा.सो.	लाल
	कौम स्वामी सा.देह खातेदार रहन महिंगपुरी का हिस्सा आईसीआईसीआई शाखा रामजी का गोल		3	13.1424	3.94	बा.सो.	
3.	गै.मु.रास्ता हेतु	–	232 236	0.0485 0.1052	–	बा.सो. बा.सो.	नीला

उक्तानुसार वादीगण के हिस्से (उक्त तालिका के बिन्दु संख्या 1) के अनुसार वादीगण अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.04.17 17:11:59 IST
Reason: SelfAttested